UPAD010026272025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई.सी. ऐक्ट, प्रयागराज।
{उपस्थितः– रवि कांत ।।, उच्चतर न्यायिक सेवा}
J.O.CODE– UP6427
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–944/2026

मनीष पाण्डेय पुत्र राम शिरोमणि पाण्डेय, निवासी–ग्राम असवा रसूलपुर, थाना हण्डिया, प्रयागराज।

---------------प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

-----------------अभियोगी,

मु.अ.सं.–164/2025
धारा-331(4), 305(A), 317(2), 317(4), 317(5) B.N.S.
थाना–हंडिया, जनपद–प्रयागराज।

दिनांक–12.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मनीष पाण्डेय की ओर से मु.अ.सं.–164/2025, धारा-331(4),305(A),317(2),317(4),317(5) B.N.S. थाना–हंडिया, जनपद–प्रयागराज के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में मनीष पाण्डेय का शपथपत्र जरिये जिला कारागार प्रेषित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा दिनांक–27.03.2025 को थाना हंडिया में इस आशय की तहरीर दी गई कि मैं प्रार्थी भूपेंद्र सिंह पुत्र नन्हकाई सिंह ग्राम गिर्दकोट, हंडिया, प्रयागराज का मूल निवासी हूं। आज बीती रात मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर सो गया था। बगल के घर के छत से अज्ञात चोर मेरे छत के रास्ते घर में घुसकर मेरे लड़के सौरभ सिंह के सिरहाने से उसका मोबाईल चुरा ले गये। सुबह जब हमलोग सो कर उठे तो मोबाईल चोरी होने की जानकारी होने पर बाहर निकला तो घर के सामने अनोज सिंह पुत्र श्याम बिहारी सिंह निवासी गिर्दकोट थाना हंडिया, प्रयागराज किराना के दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर चालीस हजार रूपये के सिक्के जिसमें केवल पांच व दस रूपये, जिसको अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। अनोज सिंह के दुकान के बगल में स्थिर प्रदीप कुमार साहू पुत्र रतन कुमार निवासी गिर्दकोट थाना हंडिया प्रयागराज के किराने की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखा सिक्का और कैश मिलाकर तीस हजार अज्ञात चोरों ने चुरा लिया गया। मेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक यंग लड़का मुंह पर रूमाल बांधकर अनोज सिंह के दुकान पर लगे बल्ब उतारकर निकाल रहा है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि अज्ञात चोरों पर कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी द्वारा दिए गए उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अंतर्गत धारा– 331(4),305(A) B.N.S. दर्ज किया गया। दिनांक–28.03.2025 को थाना हंडिया की पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर प्रार्थी/अभियुक्त व एक अन्य सहअभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियोग के गवाहान् व फर्द बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2),317(4),317(5) B.N.S. की वृद्धि की गई।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके पूर्व न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थी का कोई जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। प्रकरण की फर्द बरामदगी में आवेदक के साथ अन्य चार सह अभियुक्तगण के साथ मिलाकर कुल 10 अदद मोबाइल, जिसमें 09 अदद मल्टीमीडिया, एवं 01 अदद कीपैड तथा 01 आई0 पैड टैबलेट तथा चोरी व लूट के 9590/–रूपये नगद तथा 01 अदद पीली धातु का मंगल सूत्र काली गुरिया की माला में दिखाया गया है तथा उसी फर्द बरागदी के आधार पर आवेदक को पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमें में अभियुक्त बना दिया तथा दिनाँक 01.04.2025 से वह जिला कारागार नैनी में निरूद्ध है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। स्थानीय थाना अपनी छवि प्रदर्शित करने के लिए झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को अपराध उपरोक्त में संलिप्त न होने के बावजूद जबरन झूठे मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है। उक्त

बरामदगी व्यततम आवागमन क्षेत्र होने के बावजूद फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है जिससे कथित बरामदगी प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती हें फर्द बरामदगी से संबंधित सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में दिनाँक 14.07.2025 को स्वीकृत हो चुकी है। आवेदक कारागार में निरूद्ध है तथा कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैरोकार के अभाव में प्रभावी पैरवी नहीं कर पा रहा है तथा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वंय शपथपत्र जरिये कारागार प्रस्तुत कर रहा है तथा उसकी प्रभावी प्रतिरक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम द्वारा की जा रही है। तथाकथित फर्द बरामदगी के आधार पर कुल 06 आपराधिक मामलों में वह जेल में निरूद्ध है जबकि पुलिस द्वारा 03 अन्य मुकदमें में वह जमानत पर है। आवेदक का उपरोक्त के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अधिरोपित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करेगा व नियत तिथियों पर बराबर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गिरोहबद्ध होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस की जमातलाशी में इनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की वस्तुएं बरामद की गई हैं। यह अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है। उसमें प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना हंडिया की पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। फर्द बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चोरी के सामानों का विक्रय कहां किया जाता था, इसका कोई जिक्र नहीं है न ही किसी क्रेता का बयान दर्ज किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 09 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 06 मामले प्रस्तुत प्रकरण की फर्द बरामदगी से संबंधित हैं, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। शेष 03 अन्य मामलों में प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर है। प्रस्तुत प्रकरण की फर्द बरामदगी से संबंधित अन्य सह अभियुक्त का जमानत दिनाँक 14.07.2025 को स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.04.2025 से जेल में निरूद्ध है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये, वाद के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मनीष पाण्डेय की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं.–944/2026, संबंधित मु.अ.सं.–164/2025, अंतर्गत धारा–331(4), 305(A), 317(2),317(4),317(5) B.N.S थाना–हंडिया, प्रयागराज स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु. पचास हजार रूपये की दो जमानतें व समान धनराशि की व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि वह विचारण के समय प्रत्येक नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करायेगा, साक्षियों पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेगा, दाखिल करने पर उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–12.03.2026

(रवि कांत–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।
J.O.CODE– UP6427